

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 227/2026

अकील अहमद

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ एवं 4 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – शेख मोहम्मद अली

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के प्रतिवादियों के लिए विद्वान राज्य अधिवक्ता को सुना।
2. याचिकाकर्ता ने नगर पंचायत- जरवल के मोहल्ला सराय में स्थित लखनऊ बहराइच मार्ग के निकट गाटा संख्या 2153 और 2155 पर अतिक्रमण हटाने की प्रार्थना करते हुए यह याचिका दायर की है, हालांकि, उसने उक्त गाटा की प्रकृति, और उसके सार्वजनिक उपयोग की भूमि होना इंगित करने के लिए कोई राजस्व अभिलेख संलग्न नहीं किया है। अभिलेख पर कुछ दस्तावेज हैं जिनके अनुसार यह गैर जमींदारी उन्मूलन भूमि है, वास्तव में, पृष्ठ 15 पर उपलब्ध दस्तावेज के अतिरिक्त की गई प्रार्थना भी यही संकेत देती है।
3. यह जनहित याचिका के रूप में कार्यवाही करने योग्य मामला नहीं है। इसके अतिरिक्त, हम यह पाते हैं कि कथित अतिक्रमणकारी को विरोधी पक्षकार के रूप में सम्मिलित नहीं बनाया गया है।
4. तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।
5. हालांकि, यह आदेश किसी भी ऐसे प्राधिकरण या न्यायालय के मार्ग में नहीं आएगा जो अतिक्रमण के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आरोपों से जुड़े बिन्दुओं पर विचार कर रहा हो, जिस पर विधि के अनुसार विचार किया जा सकता है।

(न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

13 मार्च, 2026

अर्णिमा

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।